

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

..... बनावत
 २ शोपाल मोहनलाल
 या व. १२६ सन् २०१२

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय तपुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
12-3-21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फोरफे डप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-4-21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Shaji</i></p>	
29/7/21	<p>..... 19 से होने वाले सत्रमण को करने हेतु, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गार्ड्ड लाईन की पालना में रुस्त पत्रावलियों में इफ्तजारी तारीख पेसीयी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय फरीफेत उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/मीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आवेदानुसार दिनांक 15-9-21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Shaji</i></p>	
15.9.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फोरफे डप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-10-21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Shaji</i></p>	
22.10.2021	<p>पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत- वागरियावास में पेश हुई। प्रार्थी नं. 1 शोपाल व प्रार्थी नं. 2 गोविन्दराम के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान् इन्द्राज व ताराचन्द पुत्रगण गोविन्दराम शिविर में उपस्थित आये। प्रार्थी नं. 1 शोपाल व प्रार्थी नं. 2 गोविन्दराम के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान् इन्द्राज, ताराचन्द व अप्रार्थी नं. 1 मोहनलाल व अप्रार्थी नं. 2 के</p>	



शयोपाल व-112 महिन लाल वर्मा
 तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
 प्रार्थना पत्र सुन-176/2012

पुत्र सुण्डाराम ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बावत पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाकर इस स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी नं. 1 शयोपाल व प्रार्थी नं. 2 गोविन्दराम के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान् इन्द्राज, ताराचन्द व अप्रार्थी नं. 1 मोहनलाल व अप्रार्थी नं. 2 के पुत्र सुण्डाराम पक्षकारान् के निवेदन पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वा स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील न्यायलय दफतर हो।

(Signature)
 22/10/21

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:-बागरियावा